<u>संख्याः 1/2023/ 26/35-1-2023-7-331/ज0नि0प्र0/2019 टी0सी0-4</u>

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः 07 फरवरी, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिये फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 6/2022/724/35-1-2022/35-1010(099)/5/2021 दिनांक 21 जुलाई, 2022 एवं शासनादेश संख्याः 8/2022/1003/35-1-2022-7-331/ज0नि0प्र0/2019 टी0सी0-4 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से प्रदेश में अध्यासित परिवारों हेतु फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना प्रारम्भ की गयी है। इस हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं:

1. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अध्यासित लगभग 3.59 करोड़ परिवार एवं 14.92 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आई0डी0 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आई0डी0 पोर्टल https://familyid.up.gov.in के माध्यम से फैमिली आई0डी0 उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी है। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आई0डी0 से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से फैमिली आई0डी0 प्राप्त कर सकते हैं। फैमिली आई0डी0 निर्मित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण संलग्नक-1 पर दिया गया है।

क्रमशः...2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रदेश सरकार के सरकारी गजट में नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्याः 998/35-1-2022 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा फैमिली आई0डी0-एक परिवार एक पहचान योजना के अधीन निवासियों के फैमिली आई0डी0 बनाये जाने हेतु पहचान के लिये स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने के लिये आधार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या-18 सन् 2016) की धारा-4(4)(b)(ii) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। तत्क्रम में फैमिली आई0डी0 पोर्टल पर आधार आधारित e-KYC की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

3. परिभाषा

3.1. परिवार को यथास्थिति निम्नवत् परिभाषित किया जायेगाः

(i) स्वयं पुरूष या स्त्री और उसकी पत्नी अथवा उसका पति (न्यायिक रूप से पृथक् पति या पत्नी से भिन्न)

(ii) स्वयं के माता-पिता

(iii) स्वयं पर आश्रित वयस्क/अवयस्क भाई-बहन

(iv) वयस्क भाई-बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हों।

(v) अवयस्क संतान/संतानें

(vi) आश्रित वयस्क संतान/संतानें (न्यायिक रूप से पृथक् विवाहित पुत्री सहित)

(vii) विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं संतानें जो संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हों।

(viii) दत्तक पुत्र/पुत्री

(ix) अन्य कोई ऐसा वयस्क/अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया/कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ना चाहें।

3.2. आवेदकः

परिवार का कोई वयस्क सदस्य जो फैमिली आई0डी0 हेतु स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से ऑनलाइन आवेदन कर रहा है।

3.3. स्वीकर्ता अधिकारी से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से है।

क्रमशः...3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.4. सत्यापन/जाँच अधिकारी से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित लेखपाल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यथास्थिति सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से है।

4. भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर फैमिली आई0डी0 आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन के लिये यथास्थिति सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अधिकृत होंगे।

5. यदि कोई आवेदक फैमिली आई0डी0 निर्मित करने के लिये स्वयं आवेदन करता है तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं होगा। जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन करने पर राज्य में जनसेवा केन्द्र (सी0एस0सी0- 3.0) के परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 शासनादेश संख्या: 19/2020/1085/78-2-2020-34 आई.टी/2010 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के बिन्दु संख्या: 4 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना के अन्तर्गत फैमिली आई0डी0 पोर्टल के माध्यम से फैमिली आई0डी0 बनाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवारों से जनसेवा केन्द्रों पर शासकीय सेवा के प्रत्येक आवेदन के लिए 30 रूपया यूजर चार्ज लिया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स का अंश निम्नवत् होगा:

क्र0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश विभाजन (रू0) में				
		डी0एस0पी0/ वी0एल0ई0	नियोजन विभाग	डी0ई0 जी0एस0	सी0 ई0 जी0	कुल यूजर चार्ज (रू0)
1.	फैमिली आई0डी0	15	03	10	02	30

6. फैमिली आई0डी0 निर्मित करने हेतु आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की भाँति होगी जिसके अन्तर्गत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप-जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण संलग्नक-2 पर उपलब्ध है।

क्रमशः...4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. फैमिली आई0डी0 योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद में कार्यरत सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फैमिली आई0डी0 पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनपद में तैनात ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या: 1/2023/ 26/35-1-2023-7-331/ज0नि0प्र0/2019 टी0सी0-4 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष एवं मण्डलीय अधिकारी।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संलग्नक-1</u>

फैमिली आई0डी0 निर्मित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

1. प्रत्येक फैमिली आई0डी0 पंजीकरण हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार वांछित है।
2. परिवार के सभी सदस्यों का आधार किसी मोबाइल नम्बर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल ओ0टी0पी0 द्वारा सत्यापन हो सके। यदि आधार से लिंक नम्बर बदल गया है तो आवेदक को अपना नवीन/सही मोबाइल नम्बर आधार से लिंक करते हुए अपडेट करना चाहिए।
3. प्रत्येक फैमिली आई0डी0 पंजीकरण के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या के सापेक्ष ओ0टी0पी0 आधारित e-KYC होगा।
4. यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा।
5. आवेदक अपना पंजीकरण फैमिली आई0डी0 पोर्टल (https://familyid.up.gov.in) पर दिये गये "Register" लिंक के माध्यम से करेगा।
6. आवेदक अपना नाम एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से मोबाइल ओ0टी0पी0 तथा कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करेगा।
7. यदि परिवार के पास पूर्व में राशन कार्ड उपलब्ध है तो फैमिली आई0डी0 पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लॉगिन करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि *आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है।* आवेदक दिये गये टैब पर क्लिक कर अपना फैमिली आई0डी0 प्रिंट/डाउनलोड कर सकते हैं।
8. यदि परिवार के पास राशनकार्ड उपलब्ध नहीं है तो फैमिली आई0डी0 पोर्टल पर आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर एवं आधार संख्या दर्ज करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि *आपके परिवार की फैमिली आई0डी0 उपलब्ध नहीं है।* आवेदक द्वारा तदोपरान्त अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा।
9. (i) पंजीकरण की प्रक्रिया में आवेदक द्वारा अपने परिवार के समस्त सदस्यों का नाम तथा आधार संख्या डालने पर उनके आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा।

   (ii) ओ0टी0पी0 डालने के पश्चात् सदस्य का नाम, जन्म तिथि/वर्ष, लिंग व पिता/संरक्षक का नाम स्वतः प्रदर्शित होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति*, पति/पत्नी का नाम*, मोबाइल नम्बर*, आवेदक से सम्बन्ध* तथा व्यवसाय के फील्ड भरने के पश्चात् सुरक्षित करनी होगी।

(iv) परिवार के समस्त सदस्यों को जोड़ने के उपरान्त आगे बढ़ने हेतु दिये गये टैब को क्लिक कर पता भरने वाला पेज प्रदर्शित होगा। आवेदक द्वारा पता भरने हेतु शहरी अथवा ग्रामीण टैब का चयन किया जायेगा।

1. शहरी टैब चयन किये जाने की दशा में ड्रॉप डाउन मेनू से जनपद का चयन करना होगा व तत्पश्चात् तहसील का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से किया जायेगा। आवेदक को निर्धारित कॉलम में अपना पूरा पता यथा- मकान संख्या, गली/मोहल्ला, लैंडमार्क तथा पिनकोड भरा जायेगा।
2. ग्रामीण टैब चयन किये जाने की दशा में ड्रॉप डाउन मेनू से जनपद व उसके सापेक्ष ड्रॉप डाउन मेनू से ही तहसील, विकासखण्ड व ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा तथा निर्धारित कॉलम में मजरा/गॉव/टोला, गली/पोस्ट/मकान नं0, लैंडमार्क तथा पिनकोड भरा जायेगा।

सही पता भरने के पश्चात् सुरक्षित कर आगे बढ़ने के विकल्प पर क्लिक किया जायेगा।

10. आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण तथा पता स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेगा। आवेदक समस्त विवरण से संतुष्ट होने की दशा में फाइनल सबमिशन का बटन क्लिक करेगा, अन्यथा की दशा में बैक जाकर अपने विवरण में वांछित बदलाव कर सकेगा।
11. फाइनल सबमिशन करने के उपरान्त स्क्रीन पर फैमिली आई0डी0 हेतु आवेदन संख्या (15 डिजिट में) तथा प्रोविजनल फैमिली आई0डी0 (12 डिजिट में) प्रदर्शित होगी तथा उसको प्रिंट करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। क्यू0आर0 कोड युक्त प्रोविजनल फैमिली आई0डी0 के प्रिंट आउट में परिवार के सदस्यों के फोटो, नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता/संरक्षक का नाम, आवेदनकर्ता के साथ सम्बन्ध व मास्क्ड आधार तथा पता प्रदर्शित होगा।
12. पोर्टल द्वारा आवेदन संख्या एवं अनन्तिम फैमिली आई0डी0 जनरेट होने के उपरान्त इसकी सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त हो जाएगी।
13. आवेदन यथास्थिति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित जारीकर्ता अधिकारी के इनबॉक्स में प्रदर्शित होगा। जारीकर्ता अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित जॉच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकारी को स्थलीय जॉच हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। जॉच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का भौतिक स्थलीय सत्यापन कर आख्या जारीकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी।

14. पोर्टल द्वारा अंतिम रूप से फैमिली आई0डी0 निर्मित होने एवं निरस्त होने की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर स्वतः प्राप्त हो जाएगी।
15. परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा फैमिली आई0डी0 के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति/प्रगति को "Track Application Status" लिंक पर जाकर आवेदन संख्या डालकर प्राप्त किया जा सकता है।
16. फैमिली आई0डी0 हेतु आवेदन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से फैमिली आई0डी0 संख्या प्रेषित की जायेगी। आवेदक द्वारा पोर्टल से भी अपनी फैमिली आई0डी0 संख्या ज्ञात की जा सकती है एवं इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

फैमिली आई0डी0 निर्मित करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में इंगित परिवार एवं परिवार के सदस्यों की सत्यापन प्रक्रिया-

I. फैमिली आई0डी0 बनाए जाने हेतु फैमिली आई0डी0 पोर्टल पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की भांति परिवार एवं परिवार के सदस्यों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों के निवासियों द्वारा फैमिली आई0डी0 बनवाने के सम्बन्ध में किए गए आवेदनों को सत्यापन हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की भांति उप जिलाधिकारी (एस0डी0एम0) को निर्धारित यूजर आई0डी0 पर प्रेषित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी (एस0डी0एम0) सम्बन्धित लेखपाल के माध्यम से ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र के सापेक्ष प्राप्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/आख्या के आधार पर परिवार आई0डी0 बनाए जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त नये आवेदनों का निस्तारण खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट/आख्या के आधार पर फैमिली आई0डी0 बनाए जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

II. फैमिली आई0डी0 के आवेदन में अंकित समस्त सदस्य एक परिवार के रूप में अध्यासित हैं अथवा नहीं, की पुष्टि सत्यापन के दौरान की जायेगी। परिवार का कोई वयस्क सदस्य दिये गये पते पर निवासरत होना चाहिये। किसी संशय की स्थिति में आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर परिवार को सत्यापित किया जायेगा।

III. सत्यापन के समय यदि परिवार अथवा उसका कोई सदस्य दिये गये पते पर अध्यासित नहीं पाया जाता है अथवा किसी सदस्य की परिवार के सदस्य के रूप में पुष्टि नहीं होती है तो कारण इंगित करते हुए पूर्ण परिवार अथवा सदस्य विशेष के आवेदन को निरस्त करने हेतु आख्या जारीकर्ता अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

IV. आवेदन के रिजेक्शन की स्थिति में ड्रॉप डाउन मेनू से कारण चयनित करने का विकल्प होगा व आख्या दर्ज करने हेतु भी विकल्प होगा।

V. प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट नोडल (जिलाधिकारी) द्वारा समस्त जनपद/तहसील/ ब्लाक स्तर के अधिकारियों के यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड सृजित किये गये है। चूंकि फैमिली आई0डी0 पोर्टल का इन्टीग्रेशन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से पूर्ण किया गया है, अतः इन्हीं यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का उपयोग कर सम्बन्धित अनुमोदन/सत्यापन प्राधिकारी द्वारा फैमिली आई0डी0 से सम्बन्धित सत्यापन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।